ओमप्रकाश आदि बनाम परमेश्वरी देवी आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट नम्बर 124/2017 जीसीएमएस 2017/00816

उपस्थिति :– श्री गुरप्रताप सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
22.12.2022	पत्रावली वास्ते मजीद बहस एवं निर्णय पेश हुई हुईं वकील प्रार्थीगण उपस्थित। मजीद बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने दादा व अप्रार्थीगण के ससुर/पिता/दादा लाचन्द पुत्र हीराराम से उसके जीवनकाल में पूर्ण प्रतिफल अदा करते हुए जरिए पंजीकृत दस्तावेज बेयनामा दिनांक 10.07.2012 के द्वारा 6एलसी के मु.नं. 8 की 2.088हें भूमि में से 1.019हे. नहरी भूमि वादी सं. 1से 3 तथा जगदीश ने 0.407है. भूमि खरीद की थी। बैयनामा के राज से ही कब्जा भूमि का प्राप्त किया हैं, जिस पर प्रार्थीगण व जगदीश को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान तक काबिज हैं। लालचन्द की मृत्यु के बाद समस्त भूमि का अप्रार्थीगण ने विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवा लिया। अप्रार्थीगण भूमि को रहन बैय व हस्तांतरित कर अन्य को सुपुर्द करना चाहते हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत विवादित भूमि के रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया हैं। अप्रार्थी सं. 5, 7 ता 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं। जवाब अप्रार्थी सं. 1 से 4 बंद हो चुका हैं। अप्रार्थी सं. 6 राज्य सरकार ओपचारिक पक्षकार हैं। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को बहस हेतु अवसर दिये जाने के बाद भी अनुपस्थित हैं। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के तथ्यों का कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कियां। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति बैयनामा लालचन्द बहक जगदीश आदि दिनांक 10.07.2012 को उप पंजीयक मुकलावा से पंजीबद्ध हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। प्रस्तुत प्रतिलिपि जमाबंदी अनुसार भूमि का विरास्तन नामान्तरण अप्रार्थीगण सुरजाराम आदि के पक्ष में हो चुका हैं। एवं अप्रार्थीगण बतोर खातेदार रिकार्ड दर्ज हैं। यदि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि रहन बैय कर दी जाती हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना संभावित हैं। प्रार्थीगण द्वारा भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण को होना अंकित किया हैं। जिसका अप्रार्थीगण द्वारा विरोध दर्ज नहीं करवाया गया हैं। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वे निर्णय तक विवादित भूमि चक 6 एलसी ... 13/127/323 कि.नं. 5/.228, 6–7/0.506, 8/1/.215, 13/.127, 14ता 16 सालम सालम, 17/2/.228, ... .025 कुल 2.088है. नहरी भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे। (गुंजन सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:43:54 IST
Reason: SelfAttested